**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 757**

**दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**बाल गृहों में अपराध और यौन शोषण की घटनाओं को रोकने हेतु नीति**

+757. **श्री रशीद मसूद** :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार ने बाल गृहों में बढ़ते अपराधिक तथा यौन शोषण के मामलों को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है ;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) : यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) : पिछले एक वर्ष में देश के किस-किस बाल गृह में यौन शोषण की घटनाएं घटित हुई हैं ; और

(ङ) : इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

(क) से (ग) : किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों तथा कानून का उल्‍लंघन करने वाले बच्‍चों संबंधी मुख्‍य कानून है । किशोर न्‍याय अधिनियम की धारा 34(3) में अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत गृहों में बच्‍चों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए देखरेख के न्‍यूनतम मानकों को लागू करने के उद्देश्‍य से देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों को रखने वाली सभी बाल देखरेख संस्‍थाओ का पंजीकरण अनिवार्य बनाने के उपबंध हैं । किशोर न्‍याय अधिनियम और उसके तहत केंद्रीय मॉडल नियमावली में राज्‍य, जिला, शहर स्‍तरों पर राज्‍य सरकार द्वारा गठित बाल कल्‍याण समितियों और निरीक्षण समितियों के माध्‍यम से सेवाओं की गुणवत्‍ता का कड़ाई से मानीटरन करने हेतु तंत्रों के उपबंध हैं । इसके अलावा, नियमों में प्रत्‍येक संस्‍था में बाल समितियोंकी स्‍थापना करने संबंधी भी उपबंध हैं, जिन्‍हें अन्‍य बातों के साथ-साथ दुर्व्‍यवहार और शोषण यदि कोई हो, संबंधी घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए भी प्रोत्‍साहित किया जाता है । इसके अतिरिक्‍त, किशोर न्‍याय अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई मॉडल नियमावली के नियम 60 में बाल देखरेख संस्‍था में यौन दुर्व्‍यवहार, उपेक्षा और बुरे बर्ताव की जानकारी सहित किसी प्रकार के दुर्व्‍यवहार के मामले में कार्रवाई करने हेतु व्‍यापक उपाय निर्धारित किए गए हैं ।

सभी गृहों में बच्‍चों की सर्वोत्‍तम देखभाल सुनिश्‍चित करने के लिए और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्‍यवहार तथा उनकी उपेक्षा न हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्‍याय अधिनियम के अंतर्गत सभी बाल देखरेख संस्‍थाओं की पहचान करने और उन्‍हें पंजीकृत करने तथा जहां उपलब्‍ध नहीं है, वहां कार्यशील निरीक्षण समितियां गठित करने हेतु समय-समय पर राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य प्रशासनों से अनुरोध करता आ रहा है ।

इसके अतिरिक्‍त, हाल ही में अधिसूचित – ‘लैंगिक अपराधों से बच्‍चों का संरक्षण अधिनियम, 2012’ में ऐसे व्‍यक्‍तियों के लिए कठोर दंड का उपबंध किया गया है, जो गृह के प्रबंधन स्‍टॉफ में होते हुए बच्‍चे पर यौन प्रहार करता है ।

(घ) और (ड.) : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

\*\*\*\*\*